राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3968/2024

कुलदीप साउ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सांगड़वा।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगड़वा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.12.2024
आदेश की दिनांक : 19.12.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 07.12.2024 के विवादित आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके द्वारा अपीलार्थी को सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगड़वा से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रानोठ, माधोपुरा में प्रबोधक स्तर–2 के पद पर नियुक्ति दी गई थी। अपीलकर्ता का नाम क्रम संख्या 21 पर रखा गया था। (अनुलग्नक–1) उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 14.11.2024 को विवादित आदेश जारी किया जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने प्रबोधक को प्राथमिक सेटअप में अपग्रेड के लिए अधिशेष घोषित करके उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है, जैसे कि अपीलार्थी जो नियमित कर्मचारी है। प्रत्यर्थी विभाग ने काउंसलिंग किए बिना ही नियुक्ति का विवादित आदेश जारी कर दिया जिसके द्वारा अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्ण इरादे से अवैध रूप से अधिशेष घोषित करके नियुक्त किया गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी को प्रारंभ में दिनांक 01.10.2008 को प्रबोधक लेवल–2 के पद पर नियुक्त किया गया था। निकटवर्ती ब्लॉकों और स्कूलों में पद रिक्त हैं, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने निकटवर्ती स्थान में अपीलार्थी पर विचार नहीं किया और प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 07.12.2024 को स्थानांतरण आदेश जारी किया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को

वर्तमान पदस्थापित स्थान से 50 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है। आरोपित आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया है क्योंकि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी ब्लॉक में प्रबोधक लेवल–1 के पद से कुछ कर्मचारियों को समायोजित किया है और अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान से 50 किलोमीटर दूर कार्यरत है और प्राथमिक विभाग में 46 सीट रिक्त है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिनांक 09.12.2024 (अनुलग्नक–3) प्रस्तुत किया जिसमें निकटवर्ती निम्न विद्यालयों में रिक्त पद अंकित किए हैः–

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोलियों की ढ़ाणी कचेला, देवपुरा।
2. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोलियों की ढ़ाणी इरसरोल।
3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गोदारो की ढ़ाणी, हनुमानजी का स्थान, कचेला।
4. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सुथारो की ढ़ाणी, जोटड़ा।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने पत्र दिनांक 06.12.2024 जारी किया जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी को निम्न निर्देश दिए गए कि ''ऐसे जिलो में अध्यापक लेवल–2 (सामाजिक विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा) को माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में भी शासन के परिपत्र कमांक प.5(8) प्राशि/2016 दिनांक 28.05.2019 के अनुसार अध्यापक लेवल–I माना जाकर समायोजित किया जाये।'' (अनुलग्नक–4)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक 1) और दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक 2) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को दिनांक 07.12.2024 के आरोपित आदेश की आड़ में अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगड़वा में निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की

अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य